भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2611

सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 के तहत वेतन उन्नयन के मामलों में वेतन उन्नयन का विनियमन

2611. श्री आनंद भदौरिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 7(10) के तहत वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन को उनके कनिष्ठ कर्मचारियों के बराबर बढ़ाने के मामलों में अगली वार्षिक वेतन वृद्धि उक्त नियमों के नियम 10 द्वारा शासित होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्लू.पी(सी) संख्या 12452/2023 द्वारा यह निर्णय दिया है कि वेतन वृद्धि वरिष्ठ कर्मचारी का व्यक्तिगत अधिकार है और यह केवल कनिष्ठ कर्मचारी द्वारा वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक वेतन प्राप्त करने से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिए है और साथ ही ऐसी वेतन वृद्धि वरिष्ठ कर्मचारी की अगली वेतन वृद्धि की तिथि को प्रभावित नहीं करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 15 के अनुसार, नियम 10 अन्य नियमों और प्रावधानों, जिनमें मूल नियम भी शामिल हैं, पर अधिभावी है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में सामान्य निर्देश/आदेश जारी करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क): 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 10 के तहत शासित होती है।

(ख) और (ग): रिट याचिका (सी) सं. 12452/2023 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांक 05.10.2023 का निर्णय सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.delhihighcourt.nic.in/web/ **>** केस स्टेटस) पर उपलब्ध है।

(घ): केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 15 में निर्दिष्ट है कि "***नियमों का प्रत्यादेशी प्रभाव*** - मूल नियमों, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1947, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1960, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1973, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1986, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1997 और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के उपबंध, इन नियमों में किए गए अन्य उपबंध के सिवाय ऐसे मामलों में उस सीमा तक जहां तक वे नियम इन नियमों से असंगत हैं, लागू नहीं होंगे जहां वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित किया गया है।"

(ङ): रिट याचिका (सी) सं. 12452/2023 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांक 05.10.2023 का निर्णय मामले के आवेदक के संबंध में लागू किया गया है।

*****